खारीज
02.5.2025

2024/013

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

माया बनाम मनीराम

प्रकरण संख्या 212 वर्ष 2024

मुकदमा किस्म अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
31.12.2024	प्रार्थीया माया की तरफ से वकील श्री विनोदकुमार स्वामी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रार्थीया को एक पक्षीय सुना गया। प्रार्थीया के वकील को एक पक्षीय सुनने एवं प्रस्तुत शपथ पत्र तथा संलग्न दस्तावेज के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जाती है कि चक 20 आरडब्ल्यूडीसी के प.नं. 236/410(14) कि.नं. 6 ता 9 की 1.012 है., प.नं. 237/410(15) कि.नं. 8, 9, 10/2 की 0.734 है. कुल 1.746 है. भूमि को अप्रार्थी रहन बैय करने से निषेद्ध रहें व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। यह निषेधाज्ञा रास्ता, खाला, बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट) एवं अन्य किसी राजकीय प्रयोजनार्थ पर लागू नहीं होगी। वकील प्रार्थीया, अप्रार्थी को साधारण डाक के साथ–साथ नोटिस रजिस्ट्रड डाक से तल्बी करवावें व रजिस्ट्रड डाक की रसीदें न्यायालय में 3 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे। पत्रावली आईन्दा तारीख 31.01.2025 को पेश हो सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	
31.1.2025	फुलाए फसकान उपस्थित/PU [illegible] है। पत्रावली [illegible] दिनांक [illegible] को पेश हो	
7.4.2025	फुलाए फसकान उपस्थित/PU [illegible] है। पत्रावली [illegible] दिनांक 11.6.2025 को पेश हो	माया प.कर्ट Akg 02.05.25
9.5.2025	वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना-पत्र निकाल देने का पेश करने पर पत्रावली को [illegible] वकील प्रार्थीया ने निवेदन किया कि [illegible] अजीनामा होने कारण [illegible] है। मौजूदा स्थिति में खारीज करवाना चाहते है। प्रार्थना-पत्र मौजूदा स्थिति में खारीज किया जाता है। पत्रावली नस्ती से कम की जाकर बाद तकमील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.05.28 18:40:08 IST
Reason: SelfAttested